

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना-01, दिनांक-

संख्या-1/श्रम वि०स्था०(1)10-55/2024 (खण्ड-I) श्र०सं०...../श्री अमित कुमार, श्रम अधीक्षक, अररिया को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, मधेपुरा का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिये दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

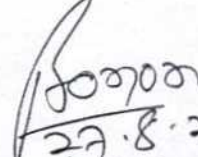
ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-55/2024 (खण्ड-I) श्र०सं०.53/पटना-01, दिनांक- 27/8/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/अधिसूचना में अंकित पदाधिकारी/श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


27.8.25
सरकार के संयुक्त सचिव